

उत्तराखण्ड शासन
 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-05
 संख्या-187/xxiv-5/2014
 देहरादून दिनांक 22 जुलाई, 2014

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा कक्षा-09 से 12 तक के लिए लागू पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करने सम्बन्धी माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-91/XXIV-5/2014/10(1)/2014 दिनांक 21 जुलाई 2014 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7- सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 8- अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल पौड़ी।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 13- अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड फाइल।

संलग्नक यथोपरि:-


 (वी0एस0पुण्डरीर)
 अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

संख्या-91 /XXIV-5/2014/10(1)/2014

देहरादून : दिनांक 21, जुलाई, 2014

अधिसूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा कक्षा- 09 से 12 तक के लिए लागू पाठ्यक्रम में अधिसूचना संख्या-266/XXIV-4/2009 दिनांक 10 जुलाई 2009 के अध्याय-13 एवं 14 के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नवत् स्तम्भ-1 में उल्लिखित पाठ्यक्रम के स्थान पर स्तम्भ-2 में चयनित व्यावसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करते हुये नवीन पाठ्यक्रम की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

स्तम्भ- 1	स्तम्भ- 2
वर्तमान विनियम अध्याय-तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम (1)	विनियम अध्याय-तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम (1) में व्यावसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करने पर संशोधित नवीन पाठ्यक्रम
<p>[1] (एक) हिन्दी - भाषा अनिवार्य विषय के रूप में उपहृत की जायेगी।</p> <p>(क) हिन्दी - 70 पूर्णांक (ख) अनिवार्य संस्कृत - 30 पूर्णांक } एक प्रश्नपत्र</p> <p>(दो) एक आधुनिक भारतीय भाषा (गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, बंगाली, लेप्चा, लिम्बु, भोटिया, मीजो) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।</p> <p>अथवा</p> <p>एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, जर्मनी, नेपाली, तिब्बती) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।</p> <p>अथवा</p> <p>एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत अरबी, फारसी) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।</p> <p>(तीन) गणित अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये)</p>	<p>[1] (एक) हिन्दी - भाषा अनिवार्य विषय के रूप में उपहृत की जायेगी।</p> <p>(क) हिन्दी - 70 पूर्णांक (ख) अनिवार्य संस्कृत - 30 पूर्णांक } एक प्रश्नपत्र</p> <p>(दो) एक आधुनिक भारतीय भाषा (गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, बंगाली, लेप्चा, लिम्बु, भोटिया, मीजो) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।</p> <p>अथवा</p> <p>एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, जर्मनी, नेपाली, तिब्बती) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।</p> <p>अथवा</p> <p>एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत अरबी, फारसी) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।</p> <p>(तीन) गणित अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये)</p>

<p>(चार) विज्ञान (पांच) सामाजिक विज्ञान (छः) योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा (आंतरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) (सात) कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास (आंतरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) (आठ) कला शिक्षा (आंतरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) (नौ) एक अतिरिक्त विषय— (क) एक आधुनिक भारतीय भाषा— यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है। (गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, बंगाली, लेप्चा, लिम्बु, भोटिया, मीजो) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। अथवा एक आधुनिक विदेशी भाषा — यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है। (अंग्रेजी, जर्मनी, नेपाली, तिब्बती) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। अथवा एक शास्त्रीय भाषा— यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है। (संस्कृत, अरबी, फारसी) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। (ख) वाणिज्य (ग) पेंटिंग (घ) संगीत (ङ) गृह विज्ञान (च) सूचना एवं प्रौद्योगिकी (छ) कृषि</p>	<p>(चार) विज्ञान (पांच) सामाजिक विज्ञान (छः) योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा (आंतरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) (सात) कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास (आंतरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) (आठ) कला शिक्षा (आंतरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) (नौ) एक अतिरिक्त विषय— (क) एक आधुनिक भारतीय भाषा— यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है। (गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, मणिपुरी, बंगाली, लेप्चा, लिम्बु, भोटिया, मीजो) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। अथवा एक आधुनिक विदेशी भाषा — यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है। (अंग्रेजी, जर्मनी, नेपाली, तिब्बती) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। अथवा एक शास्त्रीय भाषा— यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में क्रम संख्या दो पर नहीं लिया गया है। (संस्कृत, अरबी, फारसी) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो। (ख) वाणिज्य (ग) पेंटिंग (घ) संगीत (ङ) गृह विज्ञान (च) सूचना एवं प्रौद्योगिकी (छ) कृषि (ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय)</p>
---	---

	<p>(1) आईटीईएस (ITES-) (Information Technology Enabling Services)</p> <p>(2) ऑटोमोबाइल (Automobile)</p> <p>(3) रिटेल (Retail)</p> <p>(4) पेशेंट केयर (Patient Care)</p> <p>(5) सिक्यूरिटी (Security)</p> <p>(6) टूरिज्म (Tourism)</p>
--	---

अध्याय-तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम-3 (ड)(v)के उपरान्त विनियम-3 (ड)(v) (i) निम्नवत् जोड़ दिया गया है-

(v) (i) व्यावसायिक शिक्षा तथा सामाजिक विज्ञान में से जिस विषय में भी परीक्षार्थी को अधिक अंक प्राप्त होंगे, उसे मुख्य विषय मानकर परीक्षाफल तैयार किया जायेगा।

स्तम्भ- 1	स्तम्भ- 2
वर्तमान विनियम अध्याय-तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम-3	विनियम अध्याय-तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम-3 में व्यावसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित किया गया।
(VI) अतिरिक्त विषय के अंकों को डिवीजन प्रदान करने हेतु जोड़ा नहीं जायेगा एवं अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होने हेतु कृपांक भी देय नहीं होगा। केवल अतिरिक्त विषय की भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में स्थानान्तरण होने की स्थिति में इस अतिरिक्त विषय की भाषा में जिसने अब द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है नियमानुसार कृपांक देय होगा।	(VI) अतिरिक्त विषय के अंकों को डिवीजन प्रदान करने हेतु जोड़ा नहीं जायेगा एवं अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होने हेतु कृपांक भी देय नहीं होगा। केवल अतिरिक्त विषय की भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में स्थानान्तरण होने की स्थिति में इस अतिरिक्त विषय की भाषा में जिसने अब द्वितीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है नियमानुसार कृपांक देय होगा। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का सामाजिक विज्ञान के स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा में, जिसने अब सामाजिक विज्ञान का स्थान ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार कृपांक देय होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि परीक्षार्थी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय के तीनों भागों में कुल 25 प्रतिशत अंक अर्जित किये गये हों, साथ ही वह तीनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो।

अध्याय-तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठ्यक्रम) विनियम-3 (ड) (ix) में इंगित तालिका के CODE-046 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया गया है:-

BOARD OF SCHOOL EDUCATION, RAMNAGAR (NAINITAL) HIGH SCHOOL PASS CRITERIA

code	Name of subject	Theory Maximum Marks	Theory Minimum pass Marks	Practical Maximum Marks	Practical Minimum marks	Internal Assesment Maximum Marks	Internal Assesment Minimum marks	Total Minim um pass marks	Total Maxim um marks
052	ITES	030	10	50	17	20	07	33	100
053	Automobile	030	10	50	17	20	07	33	100
054	Retail	030	10	50	17	20	07	33	100
055	Patient care	030	10	50	17	20	07	33	100
056	Security	030	10	50	17	20	07	33	100
057	Tourism	030	10	50	17	20	07	33	100

इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा 11 एवं 12 का पाठ्यक्रम)

वर्तमान विनियम अध्याय-चौदह इण्टरमीडिएट परीक्षा(कक्षा-11 तथा 12 का पाठ्यक्रम) विनियम-3	विनियम अध्याय-चौदह इण्टरमीडिएट परीक्षा(कक्षा-11 तथा 12 का पाठ्यक्रम) विनियम-3 व्यावसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करने पर संशोधित नवीन पाठ्यक्रम
<p>3- इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित के अनुसार पांच विषयों में परीक्षा ली जायेगी। प्रथम विषय- उच्च माध्यमिक स्तर पर मानविकी, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में एक विषय हिन्दी भाषा का अनिवार्य होगा, जिसमें संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से समाहित रहेगा। (क) हिन्दी - 70 पूर्णांक (ख) अनिवार्य संस्कृत - 30 पूर्णांक } एक प्रश्नपत्र</p> <p>अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा कक्षा- 11 एवं 12 में आंतरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विषय किसी एक वर्ग के लिए जायेंगे।</p>	<p>3- इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित के अनुसार पांच विषयों में परीक्षा ली जायेगी। प्रथम विषय- उच्च माध्यमिक स्तर पर मानविकी, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में हिन्दी भाषा (जिसमें संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से समाहित रहेगा। 70:30 पूर्णांक के अनुपात में) अथवा अंग्रेजी अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा कक्षा- 11 एवं 12 में आंतरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विषय किसी एक वर्ग के लिए जायेंगे।</p>

<p>पंचम विषय</p> <p>कृषि वर्ग को छोड़कर किसी अन्य वर्ग से एक विषय अथवा उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा भाषाओं हेतु विहित पाठ्यक्रम में अंग्रेजी अथवा संस्कृत अथवा उर्दू अथवा कोई एक भाषा अथवा अपने वर्ग से कोई एक विषय का चयन कर सकता है, जो प्रथम विषय के रूप में न लिया गया हो।</p>	<p>पंचम विषय</p> <p>कृषि वर्ग को छोड़कर किसी अन्य वर्ग से एक विषय अथवा उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा भाषाओं हेतु निम्नवत् विहित पाठ्यक्रम में से कोई एक विषय— भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, अथवा नेपाली) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।</p> <p>अथवा</p> <p>एक आधुनिक विदेशी भाषा— अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, तिब्बती अथवा चीनी जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।</p> <p>अथवा</p> <p>एक शास्त्रीय भाषा— संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी अथवा लैटिन, जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।</p> <p>ज्ञातव्य—</p> <p>(1) वही भाषाएं उपर्युक्त की जायेंगी जिनका विद्यालय में पूर्व से ही अध्ययन हो रहा है।</p> <p>(3) मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, तिब्बती, पाली, अरबी, फारसी, लैटिन, कश्मीरी तथा चीनी के पाठ्यक्रम पारित होने तक तथा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होने तक परीक्षार्थी इन्हें उपर्युक्त नहीं कर सकेंगे।</p> <p>अथवा</p> <p>अपने वर्ग से कोई एक विषय।</p> <p>नोट— पंचम विषय में भाषा लेने पर सम्बन्धित भाषा प्रथम विषय के रूप में ली गयी भाषा से भिन्न होनी चाहिए।</p>
<p>(क) मानविकी वर्ग</p> <p>(2-5) निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय— (एक) भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम अथवा नेपाली) जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के</p>	<p>मानविकी वर्ग</p> <p>(2-4) निम्नलिखित विषयों में से कोई तीन विषय— (एक) इतिहास (दो) नागरिक शास्त्र (तीन) गणित (चार) अर्थशास्त्र (पांच) हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) अथवा हिन्दुस्तानी</p>

अन्तर्गत हो।

(दो) एक आधुनिक विदेशी भाषा— अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन रूसी, तिब्बती अथवा चीनी जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

(तीन) एक शास्त्रीय भाषा— संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, अथवा लैटिन, जो परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत हो।

ज्ञातव्य—

(1) वही भाषाएं उपहृत की जायेंगी जिनका विद्यालय में पूर्व से ही अध्ययन हो रहा है।

(3) मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़ सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, तिब्बती, पाली, अरबी, फारसी, लैटिन, कश्मीरी तथा चीनी के पाठ्यक्रम पारित होने तक तथा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होने तक परीक्षार्थी इन्हें उपहृत नहीं कर सकेंगे।

(चार) इतिहास

(पांच) नागरिक शास्त्र

(छः) गणित

(सात) अर्थशास्त्र

(आठ) हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) अथवा हिन्दुस्तानी संगीत (मेलोडिक वादन) अथवा हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन वादन) अथवा कर्नाटक संगीत (गायन) अथवा कर्नाटक संगीत (मेलोडिक वादन) अथवा कर्नाटका संगीत (पर्कसन वादन)

(नौ) ड्राइंग एवं पेन्टिंग

(दस) समाजशास्त्र

(बारह) गृह विज्ञान

(तेरह) भूगोल

(चौदह) कम्प्यूटर

(पन्द्रह) सैन्य विज्ञान

(सोलह) मनोविज्ञान अथवा शिक्षा शास्त्र अथवा तर्कशास्त्र

नोट— कम्प्यूटर विषय से केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही सम्मिलित हो सकेंगे। परन्तु इस विषय के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।

संगीत (मेलोडिक वादन) अथवा हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कसन वादन) अथवा कर्नाटक संगीत (गायन) अथवा कर्नाटक संगीत (मेलोडिक वादन) अथवा कर्नाटका संगीत (पर्कसन वादन)

(छः) ड्राइंग एवं पेन्टिंग

(सात) समाजशास्त्र

(आठ) गृह विज्ञान

(नौ) भूगोल

(दस) कम्प्यूटर

(ग्यारह) सैन्य विज्ञान

(बारह) मनोविज्ञान अथवा शिक्षा शास्त्र अथवा तर्कशास्त्र

(तेरह) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय)

(1) आईटीईएस (ITES-

Information Technology Enabling Services)

(2) ऑटोमोबाइल (Automobile)

(3) रिटेल (Retail)

(4) पेशेंट केयर (Patient Care)

(5) सिक्यूरिटी (Security)

(6) टूरिज्म (Tourism)

नोट— कम्प्यूटर विषय से केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही सम्मिलित हो सकेंगे। परन्तु इस विषय के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।

अध्याय-चौदह इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा 11 तथा 12 का पाठ्यक्रम) विनियम-4 (viii) में इंगित तालिका के CODE-144 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया गया है:-


INTERMEDIATE EXAMINATION PASS CRITERIA

code	Name of subject	Theory Maximum Marks	Theory Minimum pass Marks	Practical Maximum Marks	Practical Minimum marks	Internal Assesment Maximum Marks	Internal Assesment Minimum marks	Total Minimum pass marks	Total Maximum marks
145	ITES	030	10	50	17	20	07	33	100
146	Automobile	030	10	50	17	20	07	33	100
147	Retail	030	10	50	17	20	07	33	100
148	Patient Care	030	10	50	17	20	07	33	100
149	Security	030	10	50	17	20	07	33	100
150	Tourism	030	10	50	17	20	07	33	100

2- चूंकि व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत Level I (Class 9th) तथा Level II (Class 10th) में दक्षता विकास हेतु कमशः 200 व 250 घन्टों का व्यवहारिक भाग (Practical Part) होना अनिवार्य है। अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन हेतु जिन विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा, उसमें निर्धारित घंटों हेतु कालांश (Periods) की व्यवस्था हेतु संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा पृथक से व्यवस्था की जायेगी।

3- व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत Level III (Class 11th) तथा Level IV (Class 12th) में व्यावसायिक शिक्षा के विषयों को मानविकी वर्ग के अन्तर्गत विहित निर्धारित विषयों के साथ अन्य विकल्पों के रूप में शामिल किया जायेगा। मानविकी वर्ग के अन्तर्गत इन विषयों को शामिल करने से वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को भी अपने पांचवे ऐच्छिक विषय के रूप में लेने का अवसर मिल सकेगा। इस क्रम में छात्र-छात्रा प्रथम विषय के रूप में हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा चुन सकेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन हेतु जिन विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा, उसमें निर्धारित घंटों हेतु कालांश (Periods) की व्यवस्था संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा पृथक से की जायेगी।

आज्ञा से,


(एस0राजू)

प्रमुख सचिव